

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 12/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. किशनलाल पुत्र बंशीलाल जाति ढोली निवासी लालराई तहसील बाली		1. जीवाराम पुत्र लच्छीराम जाति जाट निवासी टेकरियों की ढाणि, सादडी, तहसील देसूरी 2. सरपंच ग्राम पंचायत सेसली तहसील बाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994

उपस्थित :-

श्रीकृष्णदास, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण  
श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :-

दिनांक:- 23.10.2017

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर प्रार्थना पत्र पत्रावली संलग्न की जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 के नीचे के पैरा में माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य दो प्रश्नों के आधार पर निर्णय प्रदान किया गया है, प्रथम – इस बिन्दु पर जांच नहीं की गई कि उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत सेसली का क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं ? दूसरा – यह भी जांच नहीं की गई कि जिस भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है, क्या वह भूमि प्रार्थी की खातेदारी है ? उक्त दोनों प्रश्नों पर उपखण्ड अधिकारी बाली को निगरानीकर्ता जीवाराम द्वारा दुकानों का निर्माण रूकवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश एवं उसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नक्शा मौका, पट्टे धारक अप्रार्थीगण के पट्टों का गलत होना मानकर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार जैर पुनर्विलोकन निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष उक्त दस्तावेजात को ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं करने से पट्टे धारकों के साथ गंभीर अन्याय का संदेह होने पर पट्टाधारकों द्वारा जिला रेवेन्यू अभिलेखागार पाली से सेटलमेन्ट के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर तुलना की गई। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेज सबूत मौके पर फर्जी कार्यवाही करवाई जाकर अवैध रिपोर्ट तैयार हो जाने पर उपखण्ड अधिकारी बाली को प्रस्तुत करवाई एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्राप्त कर माननीय न्यायालय में पंचायत निगरानी के साथ प्रस्तुत करवाई गई। निगरानीकर्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली को मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 11.08.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त किया, जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2015 को बनाई जा चुकी थी। मौका नक्शा में नाप व नाप सम्बन्धी आवश्यक तथ्य दर्ज नहीं किये। विवाद खातेदारी भूमि पर दुकानों के पट्टे जारी करने का था, परन्तु पट्टे ग्राम पंचायत सेसली को तथा ग्राम लालराई की जमीन पर प्लाट के मालिकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा मौका देखने बाबत ग्राम पंचायत सेसली को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा दुकानों के पट्टा धारकों एवं बेची गई दुकानों के खरीददार जो दुकानों में व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें भी नोटिस नहीं दिया गया अर्थात् जीवाराम ने अपने मौतबीर चुनकर मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिये, ऐसी मौका रिपोर्ट विधिवत रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं थी। मौका रिपोर्ट में नाप करने हेतु खसरा



11

नम्बर 634, 633 व 636 के लियु मुस्तकील बिन्दु कायम नही किया गया। इस कारण खसरे के चतर सीमाओं तथा प्रत्येक भुजा के कोण की डिग्री उपलब्ध नही की गई। राजस्व नक्शों में दर्ज खसरे की शक्त से भिन्न शक्त पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्ज कर दिया, जो नक्शा सद्भावी नही है। मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2015 में दुकानों की जमीन को खातेदारी में होना उल्लेख किया है, जो जिला राजस्व अभिलेखागार पाली से प्राप्त सेटलमेन्ट के नक्शे को देखे बगैर तथा पटवारघर में उपलब्ध नक्शे से भी सही मिलान नही करने से ग्राम लालराई की उक्त दुकाने, जो लालराई की आबादी भूमि पर है, उनको पटवारी हल्का ने खातेदारी भूमि पर होने की गलत रिपोर्ट पेश की है तथा गंभीर असावधानी बरती है। हल्का पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट पर दर्ज नक्शा वास्तविक रेकर्ड से भिन्न है, जो सुपर इम्पोज नक्शे से स्पष्ट है। माननीय न्यायालय द्वारा दुकानों की व्यावसायिक मूल्य की त्रुटी को भी आधार दर्ज किया गया है, परन्तु मूल्य तत्कालीन डी0एल0सी0 दर से शाशित होती है, जिसका उल्लेख पंचायत निगरानी में नही किया गया है तथा अन्तर राशि का भी उल्लेख नही किया गया है। परन्तु मूल्य की कमी को पूर्ति करने में कोई कानूनी बाधा नही है तथा जो विक्रय संव्यवहार में राशि न्यूनाधिक होने पर उक्त राशि का भुगतान कराने में कानून की कोई बाधा मान्य नही है। इस आपत्ति पर निगरानी को स्वीकार किया जाना कानूनन उचित मानने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त पंचायत रिविजन देरी से प्रस्तुत करने हेतु रिविजन की देरी को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार योग्य नही थी। इस तथ्य के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया। जो पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किये गये थे, उनमें दो पट्टे देने के पश्चात पंजीबद्ध करा दिये गये तथा शेष दो निगरानी के पट्टे की दुकाने बाद में अन्तिरित कर दिया गया, जिनके सबूत जवाब निगरानी के साथ प्रस्तुत किये गये थे, जिनका अवलोकन नही किये जाने से गम्भीर क्षति पट्टाधारकों को होती है। इस कारण उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रिब्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जो कथन प्रकट किये गये हैं, वो प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु नये तथ्यों को प्रकट किया गया है, जो कानूनन मान्य नही है। रिब्यू के तहत मात्र निर्णय में दिखती हुई तकनीकी त्रुटी को ही सही किया जा सकता है। कानूनी बिन्दु एवं तथ्यों को पुनः अवलोकन करने एवं दस्तावेजी तथ्यों/साक्ष्यों को पुनः देखे जाने व सुने जाने हेतु उल्लेख किया गया है। जिसकी कानूनन रिब्यू याचिका में अनुमति अनुज्ञेय नही है। रिब्यू याचिका में लिमिटेशन के बिन्दु एवं उस पर प्रस्तुत नजीरों का पुनरावलोकन हेतु निवेदन किया है, इस हेतु न्यायालय को बाध्य नही किया जा सकता है; रिब्यू की आड में प्रकरण को नये सिरे से नही देखा जा सकता है। राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 634 व अन्य खसरा नम्बरान की भूमि अप्रार्थी जीवाराम सहित अन्य सह खातेदारान की शामिलती दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा हितबद्ध पक्षकार होने के तथ्य का कोई महत्व नही है। ग्राम पंचायत द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना ग्राम पंचायत के स्वविवेकाधिकार का है। उससे प्रार्थी एग्रीड नही हो सकता है। रिब्यू का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है। किसी भी आदेश/निर्णय को तभी रिब्यू किया जा सकता है, जब किसी आदेश या निर्णय में प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष त्रुटी नजर नही आती हो, किन्तु माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटी या गलती नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 857, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 741, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1454 व आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1202 की प्रतियां प्रस्तुत की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र को मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह तथाकथित रूप से अप्रार्थी से मिलकर, फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई



है तथा पटवारी हल्का द्वारा सेटलमेन्ट के नक्शे तथा राजस्व नक्शे एवं मौके का सही मिलान नहीं किया तथा न ही पक्षकारों को सुनवाई का नोटिस दिया। इस कारण जैर पुनर्विलोकन आदेश को पुनर्विलोकित कराने का अनुतोष चाहा। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्याय सिद्धान्त निःसंदेह सम्मानीय है, किन्तु यह मूल प्रकरण के तथ्यों पर चर्चा होने की स्थिति में Helpful हो सकता है, किन्तु रिव्यू के Scope पर यह न्याय सिद्धान्त प्रकरणाभिन्न होने के कारण चर्चा नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं कि निगरानी का स्कोप सीमित है, जिसके तहत प्रकरण का नये सिरे से निर्णय नहीं किया जा सकता है। प्रकरण का समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र के जरिये इस तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश में किस तथ्य अथवा विधि की भूल हुई हो अथवा किस तात्त्विक बात की अज्ञानतावश आदेश पारित किया गया हो। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के Mandatory Provision को पूर्ण नहीं करने के कारण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(भागीरथ बिश्नोई)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

